(195)

न्यायालयः- राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3696-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना, के प्रकरण क्रमांक 56/2011-12 निगरानी

शारदा पुत्री धनीराम राठौर पत्नी राजबीर राठौर निवासी ग्राम जालौनी तहसील अम्बाह हाल निवास ग्राम कठवा(मेहगांव) जिला भिण्ड म.प्र.

--- आवेदिका

विरूद्ध

1. श्रीमती रानीदेवी पत्नी जसरथ सिंह
2. महावीर सिंह पुत्र जसरथ सिंह
3. बलबीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम जालौनी मौजा थरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.
4. धनीराम पुत्र जालिम सिंह
5. किशोरीलाल
6. रामदास पुत्रगण श्री रामबरनलाल जाति राठौर निवासीगण जालौनी मौजा थरा तहसील अम्बाह हाल निवास वार्ड क्र. 7 गल्ला मण्डी के पीछे करौली माता रोड़ अम्बाह तहसील अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

--- अनावेदकगण

.....

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी धाकड़)

(अनावेदकगण सूचना उपरान्त अनुपस्थित)

.....

आ दे श

(आज दिनांक 14.2.17 को पारित)

अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि, ग्राम जालौनी मौजा थरा तहसील अम्बाह जिला मुरैना की भूमि सर्वे क्रमांक 4069, 4073, 4033, व 4034 आवेदिका की पैतृक भूमि है।(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमि स्वामी आवेदिका के पिता धनीराम के पिता जालिम सिंह की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमिओं के सम्बन्ध में दीवानी वाद न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह जिला मुरैना के प्र.क्र. 17/2012ई.दी. पर विचाराधीन है। उपरोक्त भूमियों को साजिशन, स्वत्वविहीन एवं प्रतिविहीन रूप से अनावेदकगण क्रमांक 4, 5, 6 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के हित में विक्रय कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदिका की ओर से संहिता की धारा 32 के अधीन आवेदन पत्र के साथ आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति का आशय यह था कि, प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निशेधाज्ञा का वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह जिला मुरैना में विचाराधीन है। तब तक नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित की जावे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका की आपत्ति संहिता की धारा 32 की इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि, सिविल न्यायालय से स्थागन नहीं है। उक्त कारण से नामान्तरण की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती इसी बीच विचाराधीन सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश जारी हो गया। तब आवेदिका ने पुनः धारा 32 भू-राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि, माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह से स्थगन आदेश जारी हो चुका है। इस कारण प्रचलित नामान्तरण कार्यवाही स्थगित कर दी जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व नियमों के विपरीत आवेदिका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदिका द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष

प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 28.09.2012 से निरस्त कर दी गई। जिसके विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

3/ प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये। अनावेदकगण सूचना उपरान्त अनुपस्थित उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 107/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 से प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी धनीराम की वैध पुत्रियाँ होना प्रमाणित है। इस कारण अपने पिता की भूमि पर वैध उत्तराधिकारी होने से अनुसूची वर्ग-1 धारा 41 के नियम 18 के पालन नहीं किया गया है। इसलिये उक्त अनुसूची का पालन करते हुये मृतक धनीराम के नाम कृषि भूमि 0.58 आरे में से 0.08 आरे को छोड़कर 0.50 आरे भूमि शेष बचती है उस पर तीनो पुत्रियों का नामान्तरण समान भाग पर किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को अनदेखा करते हुये। आवेदिका का पुनः आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियमों के विपरीत हो कर निरस्तनीय है। आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में व्यक्त किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 107/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 से मृतक भूमि स्वामी आवेदिका के पिता धनीराम के स्थान पर नामान्तरण आदेश पारित किया है। इस प्रकार मृतक धनीराम के स्थान पर आवेदिका वैध उत्तराधिकारी होने के कारण इनका नामान्तरण स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 56/2011-12 निगरानी में पारित आदेश

दिनांक 28.09.2012 अधिकारिता रहित आदेश होने से निरस्त कर आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा प्रचलित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 17/2012ई.दी. विचाराधीन उक्त वाद का निर्णय उभयपक्ष पर बन्धनकारी रहेगा। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं, और आवेदिका की निगरानी स्वीकार की जावे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जा कर अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं न्यायालय तहसीलदार अम्बाह के प्रकरण कमांक 16/2011-12/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2012 एवं 16.03.2012 निरस्त किया जा कर न्यायालय तहसीलदार अम्बाह को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि, श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बाह के प्रकरण कमांक 17/2012ई.दी. में पारित स्थगन आदेश के आधार पर नामन्तरण कार्यवाही तीन माह के लिये स्थगित रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर